EAST CENTRAL RAILWAY

कार्यालय
महाप्रबंधक(का)
हाजीपुर

RBE No.163/2022

PCPO's Sl No.186/2022

No.ECR-HQ0PERS (RULE)/8/2022 Com.No.162637)

1. CAO (Con.)/उत्तर एवं दक्षिण/पटना।
2. सभी PHOD/CHOD/पूमरे/हाजीपुर।
3. DRM/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी/प्रशासन/पूमरे/हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/पीडी/डीडीयू, यांत्रिक कारखाना/समस्तीपुर एवं हरनौत।
7. Sr.DPO/पूमरे/दानापुर, डीडीयू, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक/विधि/पटना।
9. प्राचार्य/क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/मुजफ्फपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी/कार्याधी/पूमरे/हाजीपुर।

विषयः-Leave Applicable to Railway employees- frequently asked Questions (FAQ).

संदर्भः-Railway Board's letter No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8 Dated:19-12-2022

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information, guidance and needful onward action please.

DA: As above.

(मनोज कुमार चौधरी)
सकाधि/इएसएम
कृत महाप्रबंधक (का0)/हाजीपुर

Digitally Signed by Manoj Ku Choudhary
Date: 27-12-2022 14:05:26
Reason: Approved

प्रतिलिपि/– निम्नलिखित को सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. महासचिव/ईसीआरकेयू/पूमरे/हाजीपुर।
2. महासचिव/एस.सी.एवं एस.टी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।
3. सकाधि(एम.पी.पी.)/पूमरे/हाजीपुर–कृपया इसे वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. महासचिव/ओ.बी.सी.एशोसिएशन/पूमरे/हाजीपुर।

1660816/2022/O/o Dy.CPO/HQ/ECR

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 163 /2022
नई दिल्ली, दिनांक: 19. 12.2022

सं.ई(पीएंडए)I-2008/सीपीसी/एलई-8

महाप्रबंधक/प्रधान वित्त सलाहकार
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,

विषय: रेल कर्मचारियों पर लागू छुट्टी - निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)

कृपया बोर्ड के दिनांक 10.09.2015 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसके अंतर्गत अवकाश के मामलों पर दिनांक 25.03.2013 के एफएक्यू सं. 21011/08/2013-एस्ट(एएल) द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कतिपय निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न रेल कर्मचारियों के लिए परिपत्रित किए गए थे।

2. अब, कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 30.08.2022 के एफएक्यू द्वारा दिनांक 25.03.2013 के अपने पूर्व एफएक्यू का अधिक्रमण किया है। तदनुसार, निम्नलिखित एफएक्यू बोर्ड के दिनांक 10.09.2015 के पत्र द्वारा परिपत्रित एफएक्यू का अधिक्रमण करेगा:

क्रम.सं.	निरंतर पूछे जाने वाले प्रश्न	उत्तर
1.	किसी भी प्रकार की छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है जिसकी रेलवे कर्मचारी को अनुमति दी जा सकती है? यदि ऐसी सीमा पार हो जाती है तो क्या प्रभाव होगा?	किसी भी रेलवे कर्मचारी को 5 साल की निरंतर अवधि के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी {आईआरईसी वॉल.I का नियम 510(1)}। सामान्यतः विदेश सेवा के अलावा 5 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए छुट्टी या बिना छुट्टी लिए अनुपस्थिति का अर्थ है कि ऐसे रेल सेवक ने रेलवे सेवा से इस्तीफा दे दिया है।{ आईआरईसी वॉल.I का नियम 510(2)।
2.	रेलवे स्कूलों में सेवारत रेलवे कर्मचारियों की छुट्टी पात्रता क्या हैं?	आईआरसी वॉल. I का नियम सं. 525 { रेल सेवा नियम) (उदारीकृत छुट्टी) नियम,1949) रेलवे स्कूलों में सेवारत व्यक्तियों के लिए औसत वेतन पर छुट्टी प्रदान करने को विनियमित करता है। बोर्ड के दिनांक 23.04.2019 के पत्र द्वारा, जो 14.12.2018 से लागू हुआ है (दिनांक 11.12.2018 की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना जारी होने की तिथि), नियम 525 और 526 के तहत संशोधन किए गए हैं। उक्त नियम में निम्नानुसार प्रावधान हैं: (1)(क). रेलवे स्कूल में सेवारत प्रत्येक रेलवे सेवक जैसे कि शिक्षक, प्रिंसिपल, हैडमास्टर, लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला सहायक या वाटरमैन का छुट्टी लेखा औसत वेतन पर छुट्टी सहित अग्रिम रूप में, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन पांच-पांच दिनों की दो किश्तों में क्रेडिट

		किया जाएगा। (ख). किसी भी वर्ष के संबंध में जिसमें रेल सेवक अवकाश के एक हिस्से का लाभ उठाता है, वह बीस दिनों के ऐसे अनुपात में औसत वेतन पर अतिरिक्त छुट्टी का हकदार होगा, क्योंकि जिन दिनों अवकाश नहीं लिया गया है उनको पूर्ण अवकाश माना जाएगा, बशर्ते कि औसत वेतन पर क्रेडिट कुल छुट्टी एक कैलेंडर वर्ष में तीस दिनों से अधिक न हो। (ग) यदि, किसी वर्ष में, रेल सेवक किसी भी अवकाश का लाभ नहीं उठाता है, तो औसत वेतन पर छुट्टी खंड (क) और (ख) के बजाय नियम 523 के अनुसार होगी। • इस नियम के प्रयोजन के लिए, "वर्ष" शब्द का अर्थ एक कैलेंडर वर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा जिसमें इयूटी का निष्पादन किया जाता है, बल्कि इसका अर्थ रेलवे स्कूल में वास्तविक इयूटी के बारह महीने के रूप में माना जाएगा। • अवकाश के हकदार रेलवे सेवक को अवकाश या छुट्टी के एक हिस्से का लाभ उठाने वाला माना जाएगा, जब तक कि उसे उच्च प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसे अवकाश या अवकाश के हिस्से को छोड़ने की आवश्यकता न हो। बशर्ते कि यदि उसे इस तरह के आदेश से छुट्टी के पंद्रह दिनों से अधिक का आनंद लेने से रोका गया है तब माना जाएगा कि उसने अवकाश के किसी भी हिस्से का लाभ नहीं उठाया है। • जब रेलवे स्कूल में सेवारत रेल सेवक इयूटी का वर्ष पूरा करने से पहले अवकाश पर चला जाता है तो उसे स्वीकार्य औसत वेतन पर छुट्टी की गणना अवकाश पर जाने से पहले की गई वास्तविक इयूटी की अवधि के दौरान आने वाली छुट्टियों के संदर्भ में नहीं की जाएगी, बल्कि उस छुट्टी के संदर्भ में की जाएगी जो उस वर्ष के दौरान आती है जब उसने इयूटी का पिछला वर्ष पूरा किया था। • नियम 526 (3) (1) के अनुसार, प्रत्येक रेलवे सेवक (रेलवे स्कूल में सेवारत रेल सेवक के अलावा) के आधे औसत वेतन पर छुट्टी का लेखा अग्रिम में आधे औसत वेतन पर छुट्टी के साथ प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के जनवरी और जुलाई के पहले दिन दस-दस दिनों की दो किस्तों में क्रेडिट किया जाएगा।
3.	क्या रेलवे कर्मचारी को सीसीएल में रहते हुए स्टेशन छोड़ने / विदेश जाने की	रेल सेवक को नाबालिग बच्चे की देखरेख करने के लिए चाइल्ड केयर लीव दी जाती है। यदि बच्चा विदेश में पढ़ रहा

	अनुमति दी जा सकती है?	है या रेल सेवक को बच्चे की देखभाल के लिए विदेश जाना है तो वह इस प्रयोजन के लिए निर्धारित अन्य शर्तों के अध्यधीन ऐसा कर सकता है।
4.	इस अनुदेश के पीछे क्या आशय है कि सीसीएल को एलएपी के समान माना जाए और उसी कि तरह स्वीकृत किया जाए?	इस से यह अभिप्राय है कि सीसीएल का लाभ छुट्टी मंजूर करने वाले प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से लिया जाए और यह कि सीसीएल का अन्य छुट्टी के साथ संयोजन, यदि कोई हो, तो एलएपी पर प्रतिबंध के अनुसार होना चाहिए। एलएपी के मामले में लागू 180 दिनों की सीमा का प्रतिबंध सीसीएल के मामले में लागू नहीं होगा।
5.	रेल सेवा (उदारीकृत छुट्टी), नियम 1949 (नियम 551-ई) के तहत सीसीएल के प्रचलित प्रावधान क्या हैं?	1) इस नियम के प्रावधानों के अध्यधीन, महिला रेल सेवक और सिंगल पुरुष रेलवे सेवक को दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम सात सौ तीस दिनों की अवधि के लिए छुट्टी देने हेतु सक्षम प्राधिकरण द्वारा चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी, चाहे पालन-पोषण के लिए या उनकी किसी भी आवश्यकता की देखभाल जैसे कि शिक्षा, बीमारी के लिए (2) उप-नियम (1) के प्रयोजनों के लिए, 'बच्चे' का अर्थ है- (क) अठारह वर्ष से कम आयु का बच्चा; अथवा (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की दिनांक 1 जून 2001 की अधिसूचना सं. 16-18/97-एन 1.1 में भारत सरकार में निर्दिष्ट चालीस प्रतिशत की न्यूनतम विकलांगता के साथ किसी भी उम्र की संतान (प्राधिकरण- कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2018 की अधिसूचना सं. 1209(ई) (3) उप-नियम(1) के तहत महिला रेल सेवक और सिंगल पुरुष रेल सेवक को चाइल्ड केयर लीव प्रदान करना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:- (i) यह एक कैलेंडर वर्ष में तीन से अधिक बार नहीं दी जाएंगी। (ii) सिंगल महिला रेल सेवक के मामले में, एक कैलेंडर वर्ष में तीन बार अवकाश प्रदान करने को एक कैलेंडर वर्ष में छह बार तक बढ़ाया जाएगा। (iii) यह साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान कुछ चरम स्थितियों के मामले को छोड़कर जहां छुट्टी मंजूर करने वाला प्राधिकारी प्रोबेशनर की चाइल्ड केयर लीव की आवश्यकता के बारे में संतुष्ट हो ,प्रदान नहीं की जाएगी, बशर्ते कि जिस अवधि के लिए ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गई हो वह न्यूनतम हो। (iv) चाइल्ड केयर लीव एक बार में पांच दिनों से कम अवधि के लिए नहीं दी जाएगी। (4) चाइल्ड केयर लीव की अवधि के दौरान, महिला रेल

		सेवक और सिंगल पुरुष रेल सेवक को पहले तीन सौ पैंसठ दिनों के लिए वेतन का एक सौ प्रतिशत भुगतान किया जाएगा, और अगले तीन सौ पैंसठ दिनों के लिए वेतन के अस्सी प्रतिशत का। (5) चाइल्ड केयर लीव को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है। (आईआरईसी वॉल.1 का नियम 551ई) (6) नियम 527 या नियम 528 के उप-नियम (1)(ii) में निहित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता के बावजूद, यदि आवेदन किया जाता है, (साठ दिनों के परिवर्तित अवकाश और छुट्टी देय न होने सहित) तो अधिकतम एक वर्ष तक देय और स्वीकार्य अवकाश, उप नियम (1) के तहत दिए गए चाइल्ड केयर लीव के क्रम में प्रदान की जाएगी। (आईआरईसी के वॉल.1 का नियम 551ई) (7) चाइल्ड केयर लीव को लीव अकाउंट से डेबिट नहीं किया जाएगा। (आईआरईसी वॉल.1 का नियम 551ई) स्पष्टीकरण - सिंगल पुरुष रेल सेवक का अर्थ है - अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा रेल सेवक

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
5. कृपया पावती दें।

संलग्नक: यथोक्त

(एन.पी.सिंह)
संयुक्त निदेशक,स्थापना(वेतन एवं भत्ता)
रेलवे बोर्ड
टेलीफ़ोन नं.47845124
ईमेल आईडी: nirbhay.singh26@gov.in
चतुर्थ तल, कमरा नं. 10

सं.ई(पीएंडए)I-2008/सीपीसी/एलई-8 **नई दिल्ली, दिनांक: 19 12.2022**

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा नंबर 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य वित्त/ रेलवे बोर्ड

1660816/2022/O/o Dy.CPO/HQ/ECR

सं.ई(पीएंडए)I-2008/सीपीसी/एलई-8 नई दिल्ली, दिनांक: 19 12.2022

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. जनरल सेक्रेटरी, एनएफआईआर कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. सेक्रेटरी जनरल, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड श्रेणी II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. सेक्रेटरी जनरल, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 341-सी, रेलवे बोर्ड।
8. अध्यक्ष, भारतीय रेल श्रेणी II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टॉफ एसोसिएशन।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड श्रेणी IV स्टॉफ एसोसिएशन।
11. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरपीएफ एसोसिएशन।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भूतल, रेल भवन, नई दिल्ली-110001।
13. ऑल इंडिया ओ.बी.सी. रेलवे इम्प्लाइज़ एसोसिएशन।
14. जनरल सेक्रेटरी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी वेल्फेयर एसोसिएशन (पंजीकृत), 490ए/16, गुरद्वारा रोड, गुरुग्राम।
15. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ।

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औ. सं.), रेलवे बोर्ड

1660816/2022/O/o Dy.CPO/HQ/ECR

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

RBE No.163 /2022

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8

New Delhi dated 19 .12.2022

The General Managers/PFAs,
All Indian Railways and
Production Units.

Sub: Leave applicable to Railway employees – Frequently Asked Questions (FAQ).

Please refer to Board's letter of even number dated 10.09.2015, vide which certain frequently asked questions issued by DoP&T vide FAQ No. 21011/08/2013-Estt(AL) dated 25.03.2013 on leave matters were circulated for railway employees.

2. Now, DoP&T vide FAQ dated 30.08.2022 has superseded its earlier FAQ dated 25.03.2013. Accordingly, the following FAQs will supersede the FAQs circulated vide Board's letter dated 10.09.2015:

Sl. No.	Frequently Asked Question	Answer
1.	What is the maximum period of leave of any kind which can be allowed to a railway servant? What is the impact if such limit is exceeded?	No railway servant shall be granted leave of any kind for a continuous period of 5 years {Rule 510(1) of IREC Vol.I}. Normally, absence from duty, with or without leave, for a continuous period exceeding 5 years other than on foreign service, implies that such railway servant has deemed to have resigned from railway service. {Rule 510(2) of IREC Vol.I}
2.	What are the leave entitlements of Railway servants serving in Railway schools?	Rule No. 525 of IREC Vol.-I {Railway Services (Liberalised Leave) Rules, 1949) regulates the grant of Leave on Average Pay for persons serving in the Railway Schools. Vide Board's letter dated 23.04.2019, which came into force w.e.f. 14.12.2018 (the date of issue of DOP&T's notification dated 11.12.2018), amendments have been made under Rule 525 & 526. The said rules provide for as follows:-

		(1)(a). The leave account of every Railway servant who is serving in a Railway school such as teacher, principal, headmaster, librarian, laboratory assistant or a waterman shall be credited with Leave on Average Pay, in advance, in two instalments of five days each on the first day of January and July of every calendar year. (b). In respect of any year in which a Railway servant avails a portion of the vacation, he shall be entitled to additional Leave on Average Pay in such proportion of twenty days, as the number of days of vacation not taken bears to the full vacation, provided the total Leave on Average Pay credited shall not exceed thirty days in a calendar year. (c). If, in any year, the Railway servant does not avail any vacation, Leave on Average Pay will be as per Rule 523 instead of clauses (a) and (b). • For the purpose of this rule, the term "year" shall be construed not as meaning a calendar year in which duty is performed but as meaning twelve months of actual duty in a Railway School. • A Railway servant entitled to vacation shall be considered to have availed himself of a vacation or a portion of a vacation unless he has been required by general or special order of a higher authority to forego such vacation or portion of a vacation. Provided that if he has been prevented by such order from enjoying more than fifteen days of the vacation, he shall be considered to have availed himself of no portion of the vacation. • When a Railway servant serving in a Railway school proceeds on leave

		before completing a full year of duty, the Leave on Average Pay admissible to him/her shall be calculated not with reference to the vacations which fall during the period of actual duty rendered before proceeding on leave but with reference to the vacation that falls during the year commencing from the date on which he completed the previous year of duty. • As per Rule 526 (3)(1), the account of Leave on Half Average Pay of every Railway servant (other than a Railway servant serving in a Railway School) shall be credited with Leave on Half Average Pay in advance, in two instalments of ten days each on the first day of January and July of every calendar year.
3.	Whether railway servant can be permitted to leave station / go abroad while on CCL?	Child Care leave is granted to a railway servant to take care of the needs of the minor children. If the child is studying abroad or the railway servant has to go abroad for taking care of the child she/he may do so subject to other conditions laid down for this purpose.
4.	What is the intention behind the instruction that CCL is to be treated like LAP and sanctioned as such?	The intention is that CCL should be availed with prior approval of leave sanctioning authority and that the combination of CCL with other leave, if any, should be as per the restriction on LAP. The restriction of the limit of 180 days at a stretch as applicable in the case of LAP will not apply in case of CCL.
5.	What are the prevailing provisions of CCL under Railway Services (Liberalised Leave) Rules, 1949 (Rule 551-E)	1) Subject to the provisions of this rule, a female Railway servant and single male Railway servant may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant leave for a maximum period of seven hundred and thirty days during entire service for taking care of two eldest surviving children, whether for rearing or for looking after any of their needs, such as education, sickness and the like.

		(2) For the purposes of sub-rule (1), "child" means- (a) a child below the age of eighteen years; or (b) an offspring of any age with a minimum disability of forty percent as specified in the Government of India in Ministry of Social Justice and Empowerment's Notification No. 16-18/97-N 1.1, dated the 1st June, 2001. (*Authority- DOP&T's Notification No. 1209(E) dated 14.12.2018)* (3) Grant of child care leave to a female Railway servant and a single male Railway servant under sub-rule (1) shall be subject to the following conditions, namely:- (i) it shall not be granted for more than three spells in a calendar year; (ii) in case of a single female Railway servant, the grant of leave in three spells in a calendar year shall be extended to six spells in a calendar year. (iii) it shall not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is satisfied about the need of Child Care Leave to the probationer, provided that the period for which such leave is sanctioned is minimal. (iv) Child Care Leave may not be granted for a period less than five days at a time. (4) During the period of Child Care Leave, a female Railway servant and a single male Railway servant shall be paid one hundred percent of the salary for the first three hundred and sixty five days, and at eighty percent of the salary for the next three hundred and sixty five days. (5) Child Care Leave may be combined with leave of any other kind.(*Rule 551E of IREC Vol.I)*

1660816/2022/O/o Dy.CPO/HQ/ECR

		(6) Notwithstanding the requirement of productions of medical certificate contained in Rule 527 or sub-rule (1) (ii) of Rule 528, leave of the kind due and admissible (including Commuted Leave not exceeding sixty days and Leave Not Due) upto a maximum of one year, if applied for, be granted in continuation with child care leave granted under sub-rule (1). *(Rule 551E of IREC Vol.I)* (7) Child Care Leave shall not be debited against the leave account. *(Rule 551E of IREC Vol.I)* Explanation – 'Single Male Railway Servant' means – an unmarried or widower or divorcee Railway servant."

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

3. Please acknowledge receipt.

DA: As above

(N P Singh)
Joint Director/E(P&A),
Railway Board
Tele No. 47845124
Email Id: nirbhay.singh26@gov.in
4th Floor, Room No.10

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8 **New Delhi dated 19 .12.2022**

Copy to the Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhawan, New Delhi.

for Member Finance/Railway Board

No. E(P&A)I-2008/CPC/LE-8 **New Delhi dated 19 .12.2022**

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, AIRF, R.No.253, Rail Bhawan, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, R.No.256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
4. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi.

5. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officer Association, R.No.402, Rail Bhawan.
6. The President, Railway Board Class II Officers' Association.
7. The Secretary General, IRPOF, Room No.341-C, Railway Board.
8. The President, Indian Railway Class II Officer Association.
9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
10. The Secretary, Railway Board Class IV Staff Association
11. The Secretary General, AIRPF Association.
12. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, R.No.8, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi-110001.
13. All India O.B.C. Railway Employee's Association.
14. The General Secretary, Retired Railway Employees Welfare Association (Regd.), 490A/16, Gurudwara Raod, Gurgaon.
15. The Chief Commissioner of Railway Safety, 16, Ashok Road, Lucknow.

for PED(IR), Railway Board

Copy to : PSOs/Sr. PPSs/PPSs/PSs/PAs to :-

MR, MoSR (J), MoSR (D), CRB & CEO, Member Finance, Member Infra., Member (T&RS), Member (O&BD), Advisor/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, Addl. PS/MR, Addl. PS/MoSR(J), DPG/MoSR(J), PS/MoSR(D), EDPG/MoSR(D), Secretary, DG(RHS), DG(RPF), DG(Safety), AM(HR), AM/PU, AM (F), AM/Works, AM/RS, AM/Traffic Transportation, AM(CE), AM(Budget), AM(Mech. Engg.), AM(T&C), AM(Telecom), AM(Plg.), AM/Revenue, AM/Signal, AM/C, AM/L&A, AM/EnHM, AM/RE, AM/Traction, AM/Marketing & Business Development, PED/IR, PED/Chg., PED/TTM, PED/Bridge, PED/Signal, PED/SD, PED/Accounts, PED/EE(RS), PED/Trg.&MPP, PED/Health, PED/Vigilance, PED/Infra, PED/Safety, ED(Plg), ED(A), EDF(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg), ED(Chg), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, ED(EEM), EDE(RRB), EDE(N), EDE(Res), EDF(C), EDF(E), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), ED(EEM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), ED(LM), ED(MIS), EDE(GC), EDT(MPP), EDME(Chg), EDME(Frt.), EDME(Trg.), EDME(Dev), EDME(W), EDPC-I, EDPC-II, ED(PP), ED(Proj)-DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), ED(Sig), ED(S&E), EDRS(C), EDRS(P), EDRS(G), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), ED/Track(M), ED/Track(MC), ED/Track(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDT(R), EDTC(FM), EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(S), EDV(T), ED(W), ED (ERP), ED(Innovation), ED/Traffic & Comml. (EnHM), ED/Elec./Transformation, ED(NFR/TC), IG/RPF(HQs), IG/RS, JS, JS(D), JS(E), JS(G), JS(P), DPC-I, DPC-II, DE(N), DF(CCA), DF(A/Cs), DE(G), DE(N), DPR, JDE(G), JDE(D&A), JDE(L), JDE(LL), JDPC-II, JDE(W), JDF(B), JDF(E),JDE(N), JDE(Res), JD(MPP), JDE(GP), DS(G), DS(Parl), US(A), PAO, DDE(D&A), JDE(RRB), DDE(Sports), DDE(N), DDE(LR)I, DDF(E)I, II, & III, DD(H), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(W), DDPC-V, DDPC-VII, DDE(Trg.).